दाखिलखुदा I 2016/00007
107170000063 15/7

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) 2/8

-: सरवरक :- RA/D 17/8

(कायदा 129) 7/9

[General Rules (Civil), Rule 129, Appendix 'B' Form No. 8]

18/10

1 नाम अदालत — [illegible](SDO)[illegible] 25/10

2 किस्म मुकदमा — [illegible] धारा- 53 [illegible] 15/11

[illegible] पिता [illegible] , [illegible] बनाम [illegible] पिता [illegible]

3 अनवान मुकदमा — [illegible] 10/01

4 नम्बर व सन् मुकदमा — 1685 /2016 22/2

5 तारीख दायरा — 8/7/2016 [illegible] 1

6 तारीख फैसला — 27/6/2017 5/4

3/5

7 तारीख दाखिल होने मुहाफिजखाना —

8 अपील या निगरानी की तारीख फैसला —

9 किस्म मिसल या हिस्सा —

10 किस्म रेकार्ड —

11 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ करना है —

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ किया गया —

12 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ करना है —

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ किया गया —

13 (अ) तारीख जिस पर कि भाग 'बी' तलफ करना है —

(ब) तारीख जिस पर कि भाग 'बी' तलफ किया गया —

14 (अ) तारीख जिस पर कि भाग 'ए' तलफ करना है —

(ब) तारीख जिस पर कि भाग 'ए' तलफ किया गया —

श्री शरीफ मोहम्मद गौरी - 1

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

(नियम–26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0), गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रेमचन्द पिता पोखरमल प्रजापति
नि–गुलाबपुरा

बनाम

मोहम्मद नासिर पिता मोहम्मद जाकीर
मुसलमान नि–गुलाबपुरा

किस्म मुकदमा–वादपत्र अन्तर्गत धारा–53

प्रकरण संख्या–1685/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.02.2017	पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील वादी ने कथन किया कि मामला मात्र भूमि विभाजन का है। आराजी मुतदाविया वादी व प्रतिवादी संख्या–01 संयुक्त खातेदारी, कब्जेकाश्त की आराजियात है जिसमें वादी का 1/2 व प्रतिवादी संख्या–01 का 1/2 हक हिस्सा निहित है ओर इसी हक हिस्से माफिक मौके पर सम्मिलित रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। आराजियात संयुक्त खातेदारी, कब्जेकाश्त की होने से आये दिन जमीन की कमीबेशी को लेकर विवाद होता रहता है तथा फसल काटने, लगान आदि जमा कराने मे काफी कठिनाई होती है। इसलिये माफिक हिस्सा अनुसार बंटवारा करवाया जावें। वकील प्रतिवादी ने भी मौके पर कब्जे के अनुसार विभाजन किये जाने में कोई आपति नहीं होना जाहिर किया है। मैने वकील उभयपक्ष को सुना। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार से रहा है। वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 मौजा गुलाबपुरा प्रथम तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर–250/1956 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा मोहम्मद नासीर पिता मो0 जाकीर मुसलमान, प्रेमचन्द पिता पोखरमल प्रजापति सा0 देह दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया है। यहां वकील वादी का कथन है कि आराजियात संयुक्त कब्जेकाश्त की होने से भूमि की कमीबेशी को लेकर विवाद होता रहता है तथा वादी अपने हक हिस्से की आराजियात पर ऋण इत्यादि लेने के कारण विभाजन करवाना चाहता है। वकील प्रतिवादी ने भी मौके पर कब्जे के अनुसार भूमि विभाजन किये जाने में कोई आपति नहीं होना जाहिर किया है चूंकि आराजियात के वादी खातेदार, काश्तकार होने से उन्हें अपनी भूमि का विभाजन करवाने के पूर्ण विधिक अधिकार होने से दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया जाने योग्य है। **–:निर्णय:–** दावा वादी लोक अदालत की भावना से प्राथमिक डिक्री किया जाकर मौजा गुलाबपुरा प्रथम तहसील हुरडा के आराजी नम्बर–250/1956 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा भूमि के खातेदारों, काश्तकारों के मध्य उनके हक हिस्से व कब्जे के अनुसार भूमि व लगान के विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा तैयार किया जावें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार हुरडा को जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किया जावें। निर्णय आज दिनांक 11.02.2017 को खुली लोक अदालत में सुनाया गया। (नन्दकिशोर राजोरा) सहायक कलक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला–भीलवाड़ा मिसल वास्ते इंतजार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.04.2017 को पेश करें।	

सहायक कलक्टर (SDO) गुलाबपुरा

Scanned by CamScanner

APP-A
Crim-I

FROM No.-III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा केम्प कोर्ट हुरड़ा

प्रेम चन्द पिता पोखरमल प्रजापति निवासी गुलाबपुरा बनाम मोहम्मद नासिर पिता मोहम्मद जाकिर मुसलमान निवासी गुलाबपुरा

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 53 रा.टी. ए. प्रकरण संख्या– 1685/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	[illegible]
27.06.2017	पत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट हुरड़ा मे पेश हुई वकील वादी उपस्थित वकील प्रतिवादी अनपुस्थित । न्यायालय हाजा के प्राथमिक डिकी दिनांक 11.02.2017 की पालना हेतु तहसीलदार हुरड़ा को लिखा जाने पर तहसीलदार हुरडा के द्वारा विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्र कमांक राजस्व/2016/दिनांक 26.06.2017 से प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है ।	

1– मोहम्मद नासिर पिता मोहम्मद जाकिर मुसलमान के हिस्से मे :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकवा	लगान
गुलाबपुरा प्रथम	250/1956	02 बीघा 14 बिस्वा	0.81
किता 1		02 बीघा 14 बिस्वा	0.81

2– प्रेम चन्द पिता पोखरमल प्रजापति के हिस्से मे –

मौजा	आराजी नम्बर	रकवा	लगान
गुलाबपुरा प्रथम	5157/250	02 बीघा 13 बिस्वा	0.80
किता 1		02 बीघा 13 बिस्वा	0.80

उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया वक्त बहस वकील वादी ने कथन किया कि तहसीलदार हुरड़ा के द्वारा जो प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है वह मुताबिक निर्णय अनुसार तैयार किया गया है । जो स्वीकार फरमाया जावें ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

मैने भी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। तदनुसार तहसीलदार हुरड़ा से उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तथा इसी अनुरूप प्रकरण मे अंतिम डिकी पर्चा तैयार किये जाने के आदेश दिये जाते है । पत्रावली सुमार फेसल होकर दाखिल दफतर करें । आदेश आज दिनांक 27.06.2017 को खुली लोक अदालत मे सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner